संख्या– 1875/9–9–12–101ज/09टी.सी.1

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 24 दिसंबर 2012

विषय– तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राज्य विशिष्ट अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वाराणसी शहर में घाटो एवं कुण्डो के विकास/उन्नयन हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1086/9–9–2012–101ज/09टी.सी.1 दिनांक 14.08.12 द्वारा वर्ष 2011–12 की कार्ययोजना में उल्लिखित कार्यो को कराये जाने हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित धनराशि रू0 1125.00 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ पचीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 उक्त धनराशि उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी को कतिपय शर्तों के अधीन अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 14.08.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाराणसी नगर के घाटों एवं कुण्डों के विकास हेतु धनराशि रू0 1125.00 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ पचीस लाख मात्र) कार्यदायी विभाग, वाराणसी विकास प्राधिकरण को अवमुक्त किये जाने हेतु स्वीकृत की गयी है। सम्बन्धित कार्यदायी विभाग द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। योजना की धीमी प्रगति तथा कार्य के प्रति प्राधिकरण की उदासीनता को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यदायी विभाग सी.एन.डी.एस. जल निगम (कान्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विस) को उक्त योजना के अंतर्गत वाराणसी के घाटों एवं कुण्डों के विकास के लिये अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः एतद् द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु सी.एण्ड डी.एस. जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

3– उक्त शासनादेश को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा । शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4– यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–1875(1)/9–9–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार(रिर्पोट ब्रांच)उ0प्र0इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)उ0प्र0इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, वाराणसी ।
5. कोषाधिकारी, वाराणसी ।
6. नगर आयुक्त,नगर निगम, वाराणसी ।
7. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम ।
9. निदेशक, सी.एण्ड डी.एस. जल निगम, उ0प्र0।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–8/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग –1/2 वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
11. वेब मास्टर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

14/12/12

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

kmgo-1